प्रेस विज्ञप्ति

29.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने करन ए चनाना (मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक) और सुश्री अनीता डिंग (मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की पूर्णकालिक निदेशक) को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए माननीय राउज एवेन्यू जिला न्यायालय (पीएमएलए विशेष न्यायालय), नई दिल्ली के समक्ष भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 की धारा 4 के तहत एक आवेदन दायर किया था और आरोपी व्यक्तियों/कंपनियों और अन्य सहयोगियों से संबंधित 131 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त करने की प्रार्थना की थी। माननीय विशेष न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर लिया है और 18.07.2025 को प्रक्रिया शुरू कर दी है। तदनुसार, एफईओए, 2018 की धारा 10 (4) के तहत नोटिस माननीय न्यायालय द्वारा जारी किए गए हैं। केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से लगभग 1201.85 करोड़ रुपये के ऋण/नकद ऋण लिए गए थे और बाद में 2017 के दौरान एनपीए बन गए।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (बीएसएंडएफबी), नई दिल्ली द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी कंपनी मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने निदेशकों/प्रवर्तकों/कर्मचारियों और अन्य लोगों के माध्यम से धन की हेराफेरी और डायवर्ट करके, आपराधिक गबन, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी आदि के जरिए धोखाधड़ी की है, जिससे केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को लगभग 1201.85 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है।

इसके बाद, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल आरोपियों और कंपनियों की जाँच की और उनकी पहचान की। पीएमएलए, 2002 के तहत जाँच से पता चला है कि मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों/शेयरधारकों/निदेशकों ने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है और तदनुसार इस मामले में 21 व्यक्तियों/कंपनियों/संस्थाओं के विरुद्ध अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है। इसके अलावा, ईडी द्वारा की गई जाँच में ऐसी संपत्तियों/परिसंपत्तियों की पहचान की गई है जो अपराध से अर्जित हैं, और इस मामले में अब तक की गई कुल कुर्की की राशि 131.51 करोड़ रुपये है, जिसकी माननीय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा विधिवत पुष्टि की गई है।

एफईओए के तहत ईडी की जाँच से पता चला है कि करण ए. चनाना और अनीता डिंग भारत छोड़ चुके हैं और यह पुख्ता तौर पर पता चला है कि वे क्रमशः यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं। आरोपी आपराधिक मुकदमे का सामना न करने के लिए भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कानूनी प्रक्रिया से बच रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट और लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। इसके अलावा, माननीय विशेष न्यायालय द्वारा करण

ए. चनाना और अनीता डिंग को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आगे की जाँच जारी है।